रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052022-235746 CG-DL-E-12052022-235746

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2093] No. 2093] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2022/वैशाख 22, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2022/VAISAKHA 22, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

का. आ. 2201(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में कूप संख्या जी ओ # 4 से गोजालिया जी सी एस तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जब से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमे उपयोग के अधिकर के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी बेस कॉम्प्लेक्स, बदरघाट, अगरतला - 799014, त्रिपुरा को लिखित रुप से आपत्ति भेज सकता है।

3223 GI/2022 (1)

उप-संभाग :साब्रुम

मौजा: भुरातली जिला: दक्षिण त्रिपुरा तहसील: भुरातली

भूमि की अतिरिक्त भूमि अनुसूची:-

क्र. सं.	खसरा सं	प्लाटसं	भूमि का वर्ग	एकड मे क्षेत्रफल
1	633	3038/p	लुंगा	0.08
2	1183	2326/p	लुंगा	0.09
3	1284/3	2325/p	लुंगा	0.14
4	540/2	2322/p	लुंगा	0.09
5	540/2	2320/p	लुंगा	0.06
6	1037	2319/p	भिटी (टिला)	0.13
7	528	2323/p	लुंगा	0.09
		0.68		

[फा नं. इएक्सपीएल-11032(11)18 /2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (ई -42518)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2022

S.O. 2201(E).— whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from GO#4 to Gojalia GCS a pipeline should be laid in the state of Tripura by the Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty- one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, RoU, ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala, Tripura-799014.

SCHEDULE

DISTRICT: SOUTH TRIPURA MOUZA: BHURATALI TEHSIL:BHURATALI SUB - DIVISION: SABROOM

Schedule of Additional land:-

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acres
1	633	3038/p	Lunga	0.08
2	1183	2326/p	Lunga	0.09
3	1284/3	2325/p	Lunga	0.14

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

4	540/2	2322/p	Lunga	0.09
5	540/2	2320/p	Lunga	0.06
6	1037	2319/p	Bhiti (Tilla)	0.13
7	528	2323/p	Lunga	0.09
	0.68			

[F. No. Expl-11032(11)/18/2022-EXPL-I-PNG (E-42518)]

R. K. KUREEL, Director